न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./106/2024

1. गौरव पुत्र सुरेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी 45, मयूर कॉलोनी खारी का लाम्बा जिला भीलवाड़ा राज0
2. ऋतु शर्मा पुत्री सुरेश कुमार पत्नी दिलीप जोशी निवासी 1624 द्वारका नगर वार्ड नम्बर 55 चौरसियावास, अजमेर जिला अजमेर राज0
3. प्रिति पुत्र सुरेश कुमार पत्नी विरेन्द्र कुमार शर्मा निवासी साक्षी सदन, सुन्दर कॉलोनी, रून राजसमन्द बी, जिला राजसमन्द
4. प्रियंका पुत्र सुरेश कुमार पत्नी अशोक शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बी–325 संजय कॉलोनी देवरियां, बालाजी रोड़, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा
5. मंजू देवी पत्नी सुरेश कुमार, जाति ब्राह्मण, निवासी खारी का लाम्बा, जिला भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा राज0
6. श्वेता पुत्री सुरेश कुमार जाति ब्राह्मण, निवासी खारी का लाम्बा, जिला भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा राज0

प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

बनाम

1. प्रेमराज पुत्र छोगा जाति जाट निवासी चावण्डियां, तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. सुण्डी पत्नी छोगा जाति जाट निवासी चावण्डियां, तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. बच्छराज पुत्र छोगा जाति जाट निवासी चावण्डियां, तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. जसराज पुत्र छोगा जाति जाट निवासी चावण्डियां, तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. रणजीतसिहं उर्फ पप्पूसिंह पुत्र रतनसिहं जाति राजपुत निवासी चावण्डियां, तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. जीवण सिहं पुत्र कल्याण सिहं, जाति राजपुत निवासी चावण्डियां, तहसील भिनाय जिला केकड़ी
7. रामधन पुत्र काना, जाति भांबी निवासी चावण्डियां, तहसील भिनाय जिला केकड़ी
8. प्रभात पुत्र उगमा, जाति भाबी निवासी चावण्डियां, तहसील भिनाय जिला केकड़ी
9. पीसू पुत्र किशना जाति बैरवा निवासी चावण्डियां, तहसील भिनाय जिला केकड़ी
10. नाथू पुत्र देवबक्ष, जाति बैरवा निवासी चावण्डियां, तहसील भिनाय जिला केकड़ी
11. जानी पत्नी लादू, जाति बैरवा निवासी चावण्डियां, तहसील भिनाय जिला केकड़ी
12. नौसर पत्नी लादू जाति बैरवा निवासी चावण्डियां, तहसील भिनाय जिला केकड़ी
13. बक्षा पुत्र भागीरथ, जाति राइका निवासी चावण्डियां, तहसील भिनाय जिला केकड़ी
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–31.07.2024

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री धर्मवीर बामनियां
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा चांवण्डियां पटवार क्षेत्र चावंण्ड़ियां भू0अ0नि0 क्षेत्र एकलसिंघा के खाता सं0 235 में दर्ज खसरा नं. 1132/1870 रकबा 0.15, खसरा नं. 500 रकबा 0.03, खसरा नं. 669 रकबा 0.01 और खसरा नं. 670 रकबा 0.14 कुल किता 04 कुल रकबा 0.33 हैक्ट और खाता संख्या 234 दर्ज खसरा नं. 1195 रकबा 0.19, खसरा नं. 683 रकबा 0.80 और खसरा नं. 719 रकबा 0.41 कुल किता 03 कुल रकबा 1.40 हैक्ट** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 13 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 14 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया।अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 13 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 13 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरक़ार द्वारा पत्रावली में जवाब सरकार पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम चांवण्ड़ियां के खाता संख्या 235 व 234 संवत 2072–2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा चांवण्डियां पटवार क्षेत्र चावंण्ड़ियां भू0अ0नि0 क्षेत्र एकलसिंघा के खाता सं0 235 में दर्ज खसरा नं. 1132/1870 रकबा 0.15, खसरा नं. 500 रकबा 0.03, खसरा नं. 669 रकबा 0.01 और खसरा नं. 670 रकबा 0.14 कुल किता 04 कुल रकबा 0.33 हैक्ट और खाता संख्या 234 दर्ज खसरा नं. 1195 रकबा 0.19, खसरा नं. 683 रकबा 0.80 और खसरा नं. 719 रकबा 0.41 कुल किता 03 कुल रकबा 1.40 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार भिनाय को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)